

3BHK TYPE-01

3BHK TYPE-02

3BHK TYPE-01 (MQ)

AT IN THE STATE OF THE STATE OF

22

9

1

638.477

638,477

633.063



5,20,136

5.20.136

5.16.041

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कालानाइजर/डवलपर	सिग्नचरंग्लाबल इंडिया प्राइवट लिमिटड						
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष — 33 of 2018 दिनांकः 26-05-2018, निर्माण योजना स्वीकृति तिथिः 13.05.2020- मेमो न.: ZP-1333/JD(RD)/2020/7913. हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 15 of 2020 Dated 23.06.2020.						
3. स्थान	सेक्टर 79, गुरुग्राम, हरियाणा।						
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5.9125 एकड़ में कुल 852 अपार्टमेंट में से 60 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाघारण के लिए हैं। समुदाय सुविघाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑगनवाड़ी—सह-क्रेश।						
5. अपार्टमेंट के विवरण, अ	गवंटन दर औ	ौर भुगतान	के नियम				
अपार्टमेंट के विवरण							
कैटेगरी (टाइप)	य्	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
1BHK TYPE-01		15	356.169	57.361	14,53,357	72,668	2,90,671
1BHK TYPE-02		8	355.610	49.083	14,46,982	72,349	2,89,396
1BHK TYPE-03		5	399.591	64.325	16,30,527	81,526	3,26,105

ii) 75% शेष राशि का मुगतान तीन वर्ष के दौरान प्रति 6 महीनों में बराबर किश्तों में किया जायेगा। हालाँकि, आवंटन के समय पुनः ली जाने वाली अधिकतम राशि, संशोधन अधिसूचना सं पीएफ —27/15922 05, जुलाई, 2019 के मुताबिक पहले ड्रॉ के दूसरे आवंटियों द्वारा देय राशि के बराबर होगी। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 के अनुसार भुगतान में किसी प्रकार की चुक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा।

26,00,678

26.00.678

25.80.206

93.539

93.539

95.907

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• पलोरिंग : कमरों में विद्रिफाइड टाइल्स, किचन में विद्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी रिकड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी रिकड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़िकयाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/७ फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बाउंड डिस्टेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्वर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्वर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिज़ाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2021 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर SignatureGlobal (India) Private Limited, Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053—121—121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 16.03.2021. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो | 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लामार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पित) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना — सबके लिए आवास प्रोग्राम के तहत शहरी रथानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे पत्नेट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पित) या आश्रित संतान को प्रायमिकता दी जाएगी। जिनका हुडा की किसी लांक्सेंस्ट कॉलोनी में अपना जाएगी जिनका हुडा की किसी लांक्सेंस्ट कॉलोनी में अपना पत्नैट /प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य पत्नैट के लिए आवेदन हों माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक पत्नैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक: 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन कार्यात होगा। विज्ञापन कोला के कार्यात के कार्यात के प्रतिकार कार्यात के प्रतिकार कार्यात के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए अवेदक अफोर्डेबल ग्रूप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।







1,30,034

1.30.034

1.29.010

SIGNATUREGLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2000PTC104787

Regd. Office: 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City –1, Gurugram, Haryana–122001 | www.signatureglobal.in

HOME LOAN PARTNER







